न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/56/2025	2025/57	14.01.2025	26.03.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज०।

–प्रार्थी

बनाम

1. चन्दर पुत्र बानू जाति चमार निवासी सैथली तहसील अलवर राज0।

–अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः–
01–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील प्रार्थी
02–अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:निर्णय:–

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम सैथली तहसील अलवर की आराजी खसरा न0 651 रकबा 1.26 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 651 रकवा 1.26 है0 वाके ग्राम पहाडीबास तहसील व जिला अलवर 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का सिरमोली की रिपोर्ट दिनांक 01/01/2025 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है की कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है। तथा ना मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राज. कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायलय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवामे यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 651 के द्वारा रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम पहाडीबास किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे। श्रीमान की अति कृपा होगी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा मुख्य कथन किया गया है कि विवादित आवंटित आराजी पर अप्रार्थी का कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं होने तथा मौका जॉच किये बिना अप्रार्थी को उक्त आराजी आवंटित कर दी गई। आराजी खसरा नम्बर 651 रकवा 1.26 है0 वाके ग्राम पहाडीबास तहसील व जिला अलवर अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। पटवारी हल्का सिरमोली की रिपोर्ट दिनांक 01.01.2025 से स्पष्ट रूप है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है तथा ना मौके पर फसल पाई गई। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट मौके पर उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

आराजी पर गैर खातेदार का लगभग 30 वर्षों से कब्जा नहीं रहा है तथा मौके पर अन्य व्यक्तियों द्वारा काश्त की जा रही है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि उक्त खसरे पर गैर खातेदार (अप्रार्थी) का भी कब्जा नहीं रहा है तथा मौके पर अप्रार्थी नहीं मिलां पत्रावली में संलग्न तामील में तामली कुलिन्दा द्वारा अंकित किया गया है कि अप्रार्थी चन्दर ग्राम सैंथली में नहीं रहता है, हमने सबसे पूछा यहां इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा नंबर 651 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम पहाडीबास तहसील व जिला अलवर के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)